

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3131
11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में पीडीएस, एनएफएसए, ओएनओआरसी

3131. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका कवरेज कितना है;
(ख) लक्षद्वीप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी पहलों जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ग) भौगोलिक रूप से अलग-थलग होना, परिवहन और भंडारण संबंधी बाधाओं के कारण कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) लक्षद्वीप में आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता, मूल्य स्थिरता और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की कवरेज का प्रावधान है जो 2011 की जनगणना के अनुसार, 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं।

पीएमजीकेवाई योजना लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पीएमजीकेवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लक्षित 21,868 लाभार्थियों की तुलना में 20,095 लाभार्थियों की पहचान की है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है।

...2/-

(ग): लक्षद्वीप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का कार्यान्वयन भौगोलिक, भंडारण और परिवहन संबंधी सभी चुनौतियों का समाधान करते हुए सुनिश्चित किया गया है।

(घ): आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम), 1980, सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए विधायी और प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं, ताकि उनकी आपूर्ति को बनाए रखा जा सके या बढ़ाया जा सके, असमान वितरण को रोका जा सके और उचित कीमतों पर उपलब्धता को सुनिश्चित की जा सके, तथा खाद्य पदार्थों की जमाखोरी/कालाबाजारी को रोका जा सके।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शासित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसी एच) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले की अवस्था में उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकल संपर्क बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम सहित 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायतें विभिन्न चैनलों - व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca@gov.in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) और उमंग ऐप के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम) पर भी दर्ज की जा सकती हैं, जो एक सर्वव्यापी आईटी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल है।

इसके अलावा, मूल्य स्थिरता के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में स्थित 578 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 40 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर और नियंत्रण में हैं।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी निगरानी रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में परिदृश्य और संभावित रुझानों की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात-आयात नीतियों में युक्तिकरण के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।
